उपजिलाधिकारी

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– 875/XVIII(1)/2016-2(8)/2016
देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2016

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

18/11/16

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 के खण्ड (25) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला उत्तरकाशी की तहसील भटवाड़ी के उपग्राम लोन्थरू जिसकी गाटा संख्या और क्षेत्रफल इत्यादि नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्यपाल, यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3– इस प्रकार गठित नये राजस्व ग्राम लोन्थरू में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या– (1)/XVIII(1)/2016 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20–20 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Urgent
श्री कोहली
19/11/16

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या–875 (1)/XVIII(1)/2016 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या–243/पांच–रा0ग्रा0 सृजन/2016 दिनांक 23 अप्रैल, 2016 के सन्दर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति जनपद के सम्बन्धित तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुए अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तराखण्ड शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को उक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव

अधिसूचना संख्या– 874 (1)/XVIII(1)/2016-2(8)/2016 दिनांक 09 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016 का संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ–1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ–3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटो की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
6363	बायणा	लोन्थरू	1963	106.296	43.018